International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070; Impact Factor: RJIF 5.22
www.socialsciencejournal.in
Volume 3; Issue 3; March 2017; Page No. 97-99

भारत और संयुक्त राष्ट्र संघः सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता के विशेष सन्दर्भ में

Mamta Jangir

Asst. Professor, PG Department of Political Science, D.A.V. College, Abohar, Punjab, India

सारांश

जब विश्व मानवता को हिरोशिमा एवं नागासाकी का दंश झेलना पड़ा। तत्पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बड़ी आशा और विश्वास के साथ की गई थी। उसके विधान (चार्टर) की प्रस्तावना में घोषित किया गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ''आगे आने वाली पीढ़ियो को युद्ध की विभीषिका से बचाने, मानव अधिकारों की पुनः स्थापना करने एवं न्यायपूर्ण व्यवस्था के निर्माण हेतु की गई है।''

संयुक्त राष्ट्र में सुधार संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता व विश्व शांति बनाये रखना भारतीय विदेश निती का आधार भूत उद्देश्य है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत अन्तराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के सर्म्धन का प्रयास करेगा। इसका साक्ष्य है कि हम औपचारिक रूप से आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को परतुं भारतीय प्रतिनिधि श्री रामा स्वामी मुदालीयर ने 26 जून 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

''भारत संयुक्त राष्ट्र के बिना विश्व की कल्पना नही कर सकता है।''

– पं. जवाहर लाल नेहरू

मुख्य अंश: भारत की विदेश नीति, संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद, कोफी अन्नान रिपोर्ट, बुतरस–बुतरस घाली रिपोर्ट।

प्रस्तावना

विश्व मानवता आज तक दो विश्व युद्धो का दंश झेल चुकी है। इन युद्धों में मानवता की अभुतपूर्व क्षति हुई। यह दंश मानवता को फिर से न झेलना पड़े व मानवता अपने चहुमुँखी विकाश के पथ पर अग्रसर हो। इसलिए राष्ट्र संघ की मृत शया पर 24 अक्टुबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्वरूप उसके सविंधान (अध्याय 19, अनुच्छेद 111) से स्पष्ट है। चार्टर की प्रस्तावना के आरम्भ में सदस्य राष्ट्रो के विश्व शान्ति व सुरक्षा सम्बन्धी सकल्पों को प्रकट किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों और विश्व शान्ति व सुरक्षा को प्रभावित करने की दृष्टि से संघ के उद्देश्य निम्नलिखित है।

1. भावी सतंति को युद्ध की विभीजिका से बचाना।
2. सामूहिक व्यवस्था व अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा कायम रखना।
3. राष्ट्रो के आत्म–निर्णय और उपनिदेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना।
4. अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शान्ति पूर्ण समाधान।
5. सामाजिक, आर्थिक, सस्कृतिक व मानवीय क्षेत्रों में अन्तराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित एवं पुष्ट करना।

जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में – ''सयुक्तं राष्ट्र संघ ने कई बार हमारे उत्पन्न होने वाले संकटो को युद्ध में परिणत होने से बचाया है। इसके बिना हम आधुनिक विश्व की कल्पना नही कर सकते। यदि यह सस्था असफल होती है तो मानव सभ्यता के सामने विनाश के अतिरिक्त और कोई विकल्प नही है। यह भावी पीढ़ी की सुरक्षा की गारण्टी एवं विश्व संघर्षों को रोकने का सेफ्टी वाल्व है।''

सुरक्षा परिषद का संगठन

सुरक्षा परिषद की रचना संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यकारी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग के रूप में की गई। सुरक्षा परिषद सयुक्त राष्ट्र संघ की केन्द्रीय धूरी है जिस पर इस अर्न्तराष्ट्रीय सस्थां का अस्तित्व निर्भर करता है। जी.जे. मैगॉन ने ठीक ही कहा है– ''अन्तराष्ट्रीय युद्ध को रोकने के लिए न तो सारे विश्व में, न ही इतिहास में कहीं इस तरह का शक्तिशाली अंग मिलता है।''[1] डेविड कुशमैन ने सुरक्षा परिषद को ''दुनिया का पुलिस मैन कहा है।'' सयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के 5 वें अध्याय में अनुच्छेद 23 से 32 तक सुरक्षा परिषद के संगठन, कार्यो, अधिकारो, मतदान पद्धति आदि का वर्णन है।

चार्टर की मूल व्यवस्था के अनुसार सुरक्षा परिषद में केवल 11 सदस्य थे। 5 स्थाई (सयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, बिटेन, फ्रांस, चीन (कम्युनिस्ट)) जिन्हें निषेधाधिकार (विटो) प्राप्त है। यह परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र है। 6 अस्थाई सदस्य होगें जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और वह उसी वर्ष पुनः निर्वाचन के लिए पात्र नही होगें परन्तु सितम्बर 1965 चार्टर में सशोंधन द्वारा अस्थाई सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 6 से 10 कर दी गई। 10 अस्थाई सदस्यों में से 5 एशियाई अफ्रीकी राज्यों में से, 1 पूर्वी यूरोप में से, 2 दक्षिणी अमरीका व शेष 2 पश्चिमी यूरोप अन्य राज्यों से होने चाहिए । इस प्रकार सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या 15 हो गयी है।

सुरक्षा परिषद को जिन अधिकारों व शक्तियों से सम्पन्न बनाया गया है। उनका उल्लेख चार्टर के 6, 7, 8 और 12 वें अध्याय[2] में किया गया है।

सुरक्षा परिषद् में सुधार के प्रयास

संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से आज तक विश्व परिदृश्य अत्यधिक बदल गया है। स्थापना के समय 51 सदस्य थे जो आज 193 हो चुके है परन्तु सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों की संख्या जस की तस है।

[1] No where in the world or in the history has there been assembled such a potential organ for preventing International War – G. J. Mangone, International politics, U. R. Ghai, S. Sharma, Page No. 428

[2] International Politics, P. D. Sharma, Page No. 646

विश्व परिदृश्य में आ रहें वर्तमान परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों में वृद्धि करना उचित होगा। वर्तमान व्यवस्था के अधीन चीन के अतिरिक्त सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रिका, आस्ट्रेलिया एवं दक्षिण अमेरिका के किसी भी राष्ट्र को स्थाई सदस्यता प्राप्त नही है। साथ ही विश्व की नवोदित शक्तियों के स्वर को भी पर्याप्त सम्मान प्राप्त नही। 14 नवम्बर 1970 को भारत सहित 19 गुट निरपेक्ष राष्ट्रो ने सुरक्षा परिषद की संख्या बढ़ाने हेतु एक प्रस्ताव महासभा मे पेश किया।

सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पी.वी. नरसिंह राव का प्रस्ताव

सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की न्यूर्याक शिखर बैठक जनवरी 1992 के अवसर पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव ने सुरक्षा परिषद के विस्तार और उसे अधिक लोकतान्त्रिक बनाये जाने के भारतीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। श्री राव ने जोर देकर कहा की अपने स्थापना के बाद से सयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की सख्या में लगभग चार गुना बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी अब सुरक्षा परिषद में भी होनी चाहिये। अब परिषद के सदस्यों की संख्या 25 से 30 के बीच होनी चाहिए।

बुतरस– बुतरस घाली (सं. रा. सं. महासचिव) की रिपोर्ट [3]

सयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन और सुरक्षा परिषद के विस्तार के बारे में सयुंक्त राष्ट्र महासचिव डां बुतरस– बुतरस घाली ने सभी देशों से सुझाव मांगे– इसी सन्दर्भ में भारत ने 1 जुलाई 1993 को अपने दृष्टिकोण से अवगत कराते हुए डा. घाली को लिखा है कि परिषद के स्थाई सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 10–11 कर देनी चाहिये अस्थायी सदस्यो की संख्या 12–14 होनी चाहिए।

कोफी अन्नान (सं. रा. सं. महासचिव) की रिपोर्ट [4]

सयुक्त राष्ट्र सुधार योजना– सयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के लिए महासचिव कोफी अन्नान द्वारा गठित 16 सदस्यीय समिति ने अपनी सिफारिशें 3 दिसम्बर 2005 को प्रस्तुत की। रिपोर्ट में सुरक्षा परिषद के पूर्नगठन के सम्बन्ध में 2 वैकल्पिक योजनाएं प्रसतुत की।

प्रथम विकल्प– समिति द्वारा प्रस्तुत पहले विकल्प के तहत स्थाई सदस्यों की संख्या में 6 सदस्य बढ़ाने की सिफारिश की गई। इन 6 सदस्यों में अफ्रिका, एशिया प्रशान्त तथा यूरोप, अमेरिका से 2–2 सदस्यों को शामिल किया जाना है। इनके अतिरिक्त 3 प्रमुख क्षेत्रों से 1–1 अस्थायी सदस्य भी शामिल करने का प्रस्ताव प्रथम विकल्प के तहत शामिल है। इसमें सबसे खास बात यह है कि नए स्थाई सदस्यों को विटो का अधिकार नही होगा।

द्वितीय विकल्प– दूसरे विकल्प के तहत स्थायी सदस्यों की संख्या पूर्ववत् ही रहेगी तथा इसमें कोई वृद्धि नही होगी लेकिन अस्थायी सदस्यों की एक नई श्रेणी के सृजन की सिफारिश इसमें की गई है। इस श्रेणी में 4–4 वर्ष की सदस्यता वाले 8 सदस्य होगें तथा इन्हें लगातार अनेक बार भी महासभा द्वारा चुना जा सकेगा। समिति द्वारा संसतुत उर्पयुक्त दोनो ही विकल्पों के तहत सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या 24 हो जायेगी जबकि विटो का अधिकार प्राप्त सदस्यों की संख्या 5 ही बनी रहेगी।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के मुददे पर 20–21 जुलाई 2006 को सयुक्तं राष्ट्र महासभा की बैठक में बहस हुई जिसमें 86 देशों ने भाग लिया। इस बात पर आम सहमति थी कि सयुक्त सुरक्षा परिषद में सुधार के बिना सयुक्त राष्ट्र का नया रूप सामने नहीं आ सकता।

जी G-4 समूह

जी-4 भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान ने मिलकर 2004 में समूह बनाया। ये देश सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिये एक दूसरे का समर्थन करते है। जी-4 समूह का प्रथम शिखर सम्मेलन 26 सितम्बर 2015 न्यूयार्क में आयोजित किया गया और उसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई थी।

जी-4 समूह इस बात पर जोर देता है कि सुरक्षा परिषद को और अधिक प्रतिनिधित्व पूर्ण, न्याय संगत व प्रभावी बनाने की जरूरत है ताकि हाल के वर्षो में बढ़े वैश्विक सघर्ष व सकंटो को पहले से बेहतर तरीको से हल किया जा सके। भारत समेत जी-4 के सदस्य देशो ने (जून 2005) सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिये औपचारिक रूप से दावेदारी पेश की लेकिन आश्चर्य जनक रूप से विटो के अधिकार पर दावा फिलहाल छोड़ दिया। ग्रुप–4 के सदस्य देशों ने अपने नए प्रस्ताव में 15 वर्षो तक विटो के अधिकार का उपयोग न करने की बात कही तथा सुरक्षा परिषद के 6 स्थायी और 4 अस्थायी सदस्य और बनाने का प्रस्ताव दिया।

A/69/L-92 मसौदा

11 सितम्बर 2015 को सयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव परित कर के सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए A/69/L-92 मसौदे को स्वीकृति किया। इस मसौदे की मुख्य बातें सयुंक्त राष्ट्र महासभा की सुरक्षा परिषद में विस्तार सम्बन्धी मामले में प्रमुख भुमिका को दोहराती है। इस विषय पर सदस्य देशों की सरकारों के बीच में संयुक्त राष्ट्र के 70वें सत्र में बात होगी तथा एक खुला कार्य दल बनाया जाएगा, जो कि न्याय संगत प्रतिनिधित्व के आधार पर सुरक्षा परिषद में सदस्यता के विस्तार पर चर्चा करेगा।

इस विषय को सयुंक्त राष्ट्र के सितम्बर 2015 में होने वाले 70वें सत्र के एजेंडें में डाला गया है। यह चर्चा महासभा के अध्यक्ष द्वारा 31 जुलाई 2015 को प्रस्तुत किये गये पत्र के आधार पर होगी। इस पत्र में विभिन्न राष्ट्रों एवं गुटों अपने-अपने सुझाव दे रखे है जिनके आधार पर आगे मंत्रणा की जाएगी। सुरक्षा परिषद का विस्तार एवं सुधार भारत की पिछले बहुत अरसे से मांग रही है। वर्तमान में सुरक्षा परिषद की संरचना दूसरे विश्व युद्ध के बाद की राष्ट्रों की भौगोलिक एवं सैन्य शक्ति के आधार पर है। करीब 1990 के दशक से सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए आवाजे उठती रही है। परन्तु ये आवाजें सयुंक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों द्वारा नये स्थायी सदस्यों को लेने के खिलाफ रहने से दब गई है।

भारत की सयुक्त राष्ट्र संघ में भूमिका

सयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों में अपना स्थान बनाकर भारत ने सक्रिय भूमिका निभायी है। डा. दलवीर भण्डारी वर्तमान में 19 जून 2012 से सयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वोच्च न्यायलय में न्यायाधीश के पद कार्यरत है। भारत वर्ष 1950–51, 1965–66, 1972–73, 1977–78, 1984–85, 1991–92, 2011–12 में सुरक्षा परिषद का सदस्य निर्वाचित हो चुका है व 2021 – 2022 की अस्थाई सीट की दावेदारी पेश की हुई है। सयुक्त राष्ट्र के दूसरे महत्वपूर्ण अंग आर्थिक व सामाजिक परिषद में 2012–14 के लिए भारत को 9 वीं बार सदस्य चुना गया है। श्री मति विजय लक्ष्मी पण्डित सयुक्त राष्ट्र महासभा के आठवें अधिवेशन की अध्यक्षा निर्वाचित हुई। डा. राधा कृष्णन और मौलान आजाद यूनस्को के प्रधान रह चुके है।

[3] An Agenda for Peace: Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping, was published in 1992.
UN Department of Public Information, Yearbook of the United Nations 1992, 34

[4] "In Larger Freedom". *United Nations website*. Retrieved 12 December 2006

श्री मती राजकुमारी अमृतकौर डबलयू एच ओ और डा. वी.आर. सेन विश्व खाघ व कृषि संस्था के प्रधान रह चुके है। श्री जगजीवन राम अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 33 वें अधिवेशन के और डा. एच. जे. भाभा 1955 अणुशक्ति के शान्तिमय उपयोग के लिए गठित कमीशन के अध्यक्ष रह चुके है।

भारत संयुक्त राष्ट्र शान्ति स्थापना सम्बन्धी अभियानों में योगदान देने वाले सबसे बड़ा देश है। सयुक्त राष्ट्र के शान्ति स्थापना से संबधित 64 अभियानों में से 43 अभियानों में 1,60,000 से अधिक सैनिको का योगदान दिया है। सयुक्तं राष्ट्र के नीले झंडे के नीचे लड़ते हुए भारतीय सशस्त्र एवं पुलिस बल के 160 से अधिक कार्मिकों ने अपने जीवन की अहुति दी है। सयुक्तं राष्ट्र के शान्ति स्थापना के लिए चल रहे 14 मिश्नों में से 7 मिशनों में भारतीय सशस्त्र बल भाग ले रहा है। 1996 में 20 अन्य देशों के साथ भारत ने परमाणु हथियारों के चरणबद्ध उन्मूलन के लिए कार्य योजना प्रस्तुत की (1996–2020) । भारत ने 2005 में सयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि का गठन किया तथा इसमें योगदान करने वाले प्रमुख देशों में से एक है। भारत सयुक्तं राष्ट्र संघ के बजट में 0. 299 प्रतिशत का योगदान भी देता है।

निष्कर्ष

विश्व परिदृश्य में आ रहें वर्तमान परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को स्थायी सदस्यों में वृद्धि करना उचित होगा। साथ ही विश्व की नवोदित शक्तियों के स्वर को भी पर्याप्त सम्मान प्राप्त होगा। अतः यह उपयुक्त होगा कि दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील, एशिया प्रशान्त क्षेत्र से भारत एवं जापान, अफ्रीका से मिस्र एवं दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त पश्चिमी जर्मनी को भी सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता प्रदान की जाये। ऐसा करने से सुरक्षा परिषद का स्वरूप अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बन सकेगा तथा विश्व की समस्याओं के प्रति उसका दृष्टिकोण भी अधिक व्यापकीकृत हो सकेगा। ऐसा करने से विश्व व्यवस्थापिका स्थापित करने की दिशा में प्रगति कर पाना सम्भव हो सकता है।

जब यू.एन.ओ बना उस समय पी5, 5 परमाणु शक्ति सम्पन राष्ट्र थे उन्हें स्थायी सदस्यता दे दी गई थी परन्तु अब वर्तमान परिदृश्य बदल चुका है। अन्य देश भी जिम्मेदार परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र है इसलिए स्थायी सदस्यों का चयन निष्पक्ष मापदण्ड के आधार पर हो । इन मापदण्डों में जनसंख्या, अर्थव्यवस्था का आकार, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को बनाये रखने में अशंदान तथा क्षमता शामिल है।

इस बिखरते सयुक्त राष्ट्र संघ पर यदि सुधारों की मरहम पट्टी ना लगाई गई तो भविष्य में इसका हाल भी राष्ट्र संघ जैसा हो सकता है। यह अपनी प्रासंगिकता बनाये रखे इसके लिए सभी सदस्य राष्ट्रो को मिलकर प्रयत्न करने होगें ताकि विश्व, मानवता शान्ति और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके।

संदर्भ सूची

1. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धान्त– चन्द्रशेखर सूद निरंजना बहुगणा– पृष्ठ संख्या 527, 545।
2. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति – डा. बी. एल फड़िया – पृष्ठ संख्या 57, 94, 95।
3. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति – डा. प्रभुदत शर्मा– पृष्ठ संख्या 641, 646।
4. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धान्त व व्यवहार – यू. आर. घई, एस शर्मा – पृष्ठ संख्या 423।
5. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध – तपन बिस्वाल ।
6. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध सिद्धान्त व व्यवहार – डा. पुष्पेश पन्त, श्री पाल जैन, डा. राखी पन्चोला ।
7. www.mofa.go.jp
8. www.un.org
9. Annual Report. Ministry of External Affairs, Govt. of India, New Delhi, 2013.